7- i:; t y

सैक्टर एक दृष्टि में

वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में योजना हेतु प्रस्तावित राशि

- आयोजना बजट सीलिंग राशि 26333.56 लाख
- राज्य आयोजना मद 11606.05 लाख
- केन्द्रीय योजना मद 14727.51 लाख

लक्ष्य एवं उदेश्य

- ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 90 प्रतिशत जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना।
- पेयजल लाईनों का विस्तार कर 35 प्रतिशत घरों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाना।
- पेयजल सुविधा से वंचित ढाणियों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभांवित करना।
- आंशिक रूप से लाभांवित गांव/ढाणियों को पूर्ण लाभांवित करना।

tu LokLF; vfHk;kaf=dh foHkkx dk nf"V i=

7-1 orZeku fLFkfr

सरकार का उदेश्य है कि पूरी जनता को पीने योग्य पानी निर्धारित मापदण्डानुसार सुलभ करवाया जावे एवं किसी भी गांव या चिन्हित ढाणियों में 1.6 किलोमीटर की परिधि में जल व्यवस्था की जावे। शहरी योजनाओं में 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं ग्रामीण जनता के लिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मापदण्ड तय किये गये हैं। नागौर जिले में वर्ष 2001 की जनगणानुसार 1480 आबाद गांव एवं 11 शहर है। जिले में सभी जल योजनाओं के लिये भूमिगत जल ही जल स्त्रोत के लिये उपलब्ध है। विभाग द्वारा शहरों व गांवों को पीने के पानी की व्यवस्था हेतु निम्न प्रकार की जल योजनाओं से लाभांवित किया गया है –

- ikbZIM 'kgjh ty ;kstuk,a & जिले में सभी 11 शहरों हेतु पाईप्ड जल योजनाएं चल रही है इन योजनाओं हेतु जल स्त्रोत के लिए नलकूप बने हुए हैं व नलकूपों से पानी एक स्थान पर (स्वच्छ जलाशयों में) इकट्ठा किया जाता है एवं वहां से उच्च जलाशयों (टंकियों में) पम्पों द्वारा भरा जाता है एवं इन टंकियों से शहर में बिछाई गई वितरण पाईप लाईनों से जल वितरण किया जाता है।
- xzkeh.k ty ;kstuk,a & ¼d½ ikbZIM ty ;kstuk,a % इन योजनाओं में भी जल स्त्रोत से पानी उच्च जलाशयों में भ्रकर गांवों में बिछी वितरण पाईप लाईनों से जल वितरण किया जाता है एवं घरों में जल संबंध दे दिये जाते हैं। यह योजना उन गांवों के लिये चालू है, जिनकी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 4000 से अधिक है।

  ¼[k½ iEi ,oa VSad ;kstuk,a & इस प्रकार की योजना में जल स्त्रोत नलकूप/खुले कुओं में पम्प से पानी निकालकर गांव में भू–तल जलाशयों में भरा जाता है एवं जलाशयों के चारों तरफ लगे नलों से पानी भरा जाता है।

  ¼x½ {ks=h; ty iznk; ;kstuk,a & जब किसी गांव में कोई जल स्त्रोत उपलब्ध न हो तो दूरी पर अन्य गांव में जल स्त्रोत से पानी पाईप लाईन द्वारा लाया जाता है, उन्हें क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनान्तर्गत माना जाता है।

  ¼?k½ gS.MiEi ;kstuk,a & जिस गांव की आबादी 1000 से कम हो व भूमिगत जल का स्तर 45 से 60 मीटर तक हो एवं पानी पीने योग्य हो तो उन गांवों में हैण्डपम्प हेतु नलकूप खोदकर हैण्डपम्प लगाकर जल वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है।

  ¼M½ turk ty ;kstuk,a & उपरोक्त क से घ तक की योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर संस्थाएं बनाकर उसका रख–रखाव किया जाता है एवं इन संस्थाओं को सरकार द्वारा पुर्नभरण हेतु कुछ राशि देय होती है एवं विद्युत खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

  ¼p½ Vh-,l-,l- ;kstuk,a & गांव के परम्परागत जल स्त्रोतों से पानी देने की व्यवस्था ग्राम स्तर पर संस्थाओं द्वारा की जाती है।

जिले में उपरोक्त योजनाओं के अनुसार सभी शहरों एवं गांवों को जल योजनाओं से लाभांवित किया जा चुका है, जिसका विवरण इस प्रकार है –

'kgjh ty inkn; ;kstuk,a %

क्र. सं.	शहर का नाम	वर्ष 2001 की आबादी	वर्तमान में चालू स्त्रोतो की संख्या			वर्तमान सर्विस लेवल एलपीसीडी	जल वितरण करने का अन्तराल (घंटे)	जल उत्पादन प्रतिदिन (लाख लीटर)
			TW	OW	HP			
1	नागौर	93915	46	2	172	63	48	70
2	कुचेरा	19521	6	0	0	60	24	13
3	मूण्डवा	16017	4	0	0	60	24	11
4	डीडवाना	44675	13	1	20	100	48	40
5	लाडनूं	57070	19	0	4	70	24	44
6	मकराना	91853	29	2	37	50	48	50
7	कुचामन	50587	23	5	6	72	24	40
8	परबतसर	13821	14	4	48	85	24	20
9	नांवा	18230	19	1	27	50	24	10
10	मेड़ता	40252	16	0	0	90	48	51
11	डेगाना	9838	8	0	0	71	48	60

xkeh.k {k=

क्र. सं.	पंचायत समिति	आबाद ग्रामो की संख्या	योजना वार लाभान्वित ग्रामो की संख्या					
			क्षेत्रीय	पाईप्ड	पीएण्डटी पनघट	टीएसएस.	हैण्ड पम्प	जनता जल योजना
1	नागौर	151	103	17	54	3	3	3
2	जायल	136	82	12	36	0	0	6
3	डीडवाना	170	72	34	16	8	1	39
4	लाडनूं	97	45	18	24	0	0	10
5	कुचामन	193	48	25	87	0	33	0
6	मकराना	119	16	15	57	7	0	24
7	परबतसर	110	21	11	9	6	10	53
8	मेड़ता	111	60	20	10	2	0	3
9	डेगाना	149	82	13	38	27	4	26
10	मूण्डवा	120	12	8	64	0	0	4
11	रियांबड़ी	124	67	4	16	4	2	6
;kx		**1480**	**608**	**177**	**411**	**57**	**53**	**174**

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 50 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 90 प्रतिशत लोगों को शुद्ध पेजयल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में 90 प्रतिशत घरों में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 28 प्रतिशत घरों में पेयजल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2003 में कराये गये सर्वे के अनुसार कुल 3790 ढाणियां पेयजल योजनाओं से वंचित पाई गई है, जिनका चिन्हीकरण किया जा चुका है तथा जल व्यवस्था हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

नागौर जिले में शहरी क्षेत्र में 308 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2608 कुल 2916 हैण्डपम्प स्थापित है, जिनमे से 2831 (शहरी क्षेत्र में 290 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2451) हैण्डपम्प चालू अथवा खराब (रिपेरेबल) है। वर्तमान में 1 दिसम्बर, 2006 से 33वां हैण्डपंप मरम्मत अभियान चलाया जा रहा है जो जुलाई 2007 तक चलेगा तथा अभियान के दौरान स्थापित समस्त हैण्ड पम्पों के रख–रखाव एवं मरम्मत की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है।

जिले में भू–जल की स्थिति का मानसून पूर्व व मानसून पश्चात चयनित आधारभूत कुओं का एवं पिजोमीटर का सर्वेक्षण भू–जल विभाग के माध्यम से किया जाता है। भूजल आंकलन 31.03.2004 के अनुसार पंचायत समितिवार भूजल संसाधन स्थिति निम्नानुसार है

क्र. सं.	पंचायत समिति	भू जल संसाधन वार्षिक भू जल उपलब्धता	वार्षिक भू जल दोहन	अधिशेष भूजल	भू जल विकास स्तर (प्रतिशत)	भू जल संसाधन स्थिति (31.3.2004)
		(मिलियन क्यूबिक मीटर)				
1.	डेगाना	39.0929	55.8955	(–) 16.8026	142.98	अतिदोहित
2.	डीडवाना	58.6661	84.8890	(–) 26.2229	144.70	अतिदोहित
3.	जायल	53.9753	48.7585	5.2168	90.33	संवेदनशील
4.	कुचामन	67.4973	165.4490	(–) 97.9517	245.12	अतिदोहित
5.	लाडनू	46.4546	32.8871	13.5675	70.79	अर्द्धसंवेदनशील
6.	मकराना	43.2992	41.9284	1.3708	96.83	संवेदनशील
7.	मेड़ता	47.9542	135.2470	(–)87.2928	282.03	अतिदोहित
8.	मूण्डवा	64.3185	192.9775	(–)128.6590	300.03	अतिदोहित
9.	नागौर	45.9825	35.0390	10.9435	76.20	सुरक्षित
10.	परबतसर	35.2337	50.9558	(–)15.7221	144.62	अतिदोहित
11.	रिंया	45.8950	77.2454	(–)31.3504	168.31	अतिदोहित
	जिला नागौर	548.3694	921.2721	(–)372.9027	168.00	अतिदोहित

जिले की कुल 11 पंचायत समितियों में वर्ष 1998 में अतिदोहित पंचायत समितियों की संख्या 5 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 6 हो गई तथा वर्ष 2004 में बढ़कर 7 हो गई है। यह पंचायत समितिया है – डेगाना, डीडवाना, कुचामन, मेड़ता, मूण्डवा, परबतसर, व रियां।

जिले के अधिकतर क्षेत्रों में सामान्यतः कम वर्षा तथा सीमित सतही जल भण्डारों के कारण जल मांग की अधिकांश आपूर्ति भू जल जल भण्डारों पर निर्भर है। जिले के अधिकतर क्षेत्रों में भू–जल सतर गहरा है तथा जनसंख्या में लगातार वृद्वि तथा पेयजल, कृषि उपयोग एवं उद्योग धंधों हेतु जल की बढ़ती मांग के कारण उपयोगी भू जल भण्डारों से अत्यधिक दोहन हो रहा हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यापक क्षेत्र में भूजल स्तर में निरन्तर गिरावट एवं कतिपय क्षेत्रों में गुणवता में भी कमी आ रही है।

1- df"k dk;ksZa esa Hkw ty nksgu dks lhfer djuk %

a. कम पानी से पैदा होने वाली फसलों की बुआई करना।
b. उन्नत बीजों का उपयोग करना। – बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारा पद्वति का व्यापक उपयोग करना।
c. समय सारणी के अनुसार फसलों की बुवाई करना।
d. समय–समय पर कृषि विशेषज्ञों से फसलों हेतु तकनीकी जानकारी प्राप्त कर क्रियान्वयन करना।

2- nSfud ,oa ?kjsyw dk;ksZa gsrq feruO;;rk ls ty dk mi;ksx djuk %

a. सार्वजनिक स्थानों पर लगे खुले नलों को बंद करना।
b. क्षतिग्रस्त पाईप लाईन की मरम्मत हेतु तुरन्त सम्बन्धित कर्मचारी/विभाग को सूचित करना।
c. औद्योगिक बहिस्त्राव को परिष्कृत कर सयंत्र में जल का पुनः उपयोग करना।

3- df=e Hkw ty iquHkZj.k %

– 'kgjh {ks=ksa esa % भवनों की छतों से प्राप्त स्वच्छ वर्षा जल को क्षेत्र मं स्थित नलकूप, खुले कुऐं अथवा हेण्ड पम्प में डालकर भू जल पुनर्भरण का प्रयास करना।

– xkeh.k {k=k e ½ नदी नालों में व्यर्थ बहकर जाने वाले जल को नालबन्ध, चेक बन्ध, जलबन्ध, उप सतही डाईक का उपयुक्त स्थल पर निर्माण कर पुनर्भरण शाफ्ट, कुओं इत्यादि के माध्यम से भूजल का पुनर्भरण करना, पराकोलेशन टैंक, टांको में वर्षा जल का संग्रहण करना।

जिले में निरन्तर वर्षा की कमी के कारण भूमिगत जल स्तर में निरन्तर गिरावट आ रही है एवं जल की गुणवत्ता भी खराब हो रही है जल स्त्रोत का कोई अन्य विकल्प जिले में उपलब्ध नहीं है वर्तमानमें जिले की 81 प्रतिशत जनसंख्या पीने के पानी के निर्धारित मापदण्ड अनुसार जल व्यवस्था नहीं हो रही है एवं शेष 19 प्रतिशत जनता को जल वितरण किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता भी दिन–प्रतिदिन खराब होती जा रही है।

7-2 y{; ,o mn~';

- ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 90 प्रतिशत जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना।
- पेयजल लाईनों का विस्तार कर 35 प्रतिशत घरों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाना।
- पेयजल सुविधा से वंचित ढाणियों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभांवित करना।
- आंशिक रूप से लाभांवित गांव/ढाणियों को पूर्ण लाभांवित करना।

7-3 y{; ,o mn~';k dk ikIr dju dh j.kuhfr ,o dk;&;kstuk

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जलदाय विभाग की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के साथ ही साथ जनता को वर्षा जल के अधिकतम उपयोग हेतु जागरूक करने की रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत वार्ड/ग्राम स्तर पर संगोष्ठी, सभायें, नाटक इत्यादि आयोजित कर जनता को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- जिले में पाईप लाईनों को विस्तार करने की योजना पर अमल लाया जायेगा, तथा अधिकाधिक घरों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाये जाने की योजनाएं हाथ में ली जा रही है।
- जिले में पानी में फ्लोराईड की अत्यधिक मात्रा एवं खारेपन को ध्यान में रखते हुए इन्दिरा गांधी नहर से पाईप–लाईन के माध्यम में जिले में पानी लाने की वृहद् योजना हाथ में ली गयी है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –**इन्दिरा गांधी नहर नागौर जल वितरण प्रोजेक्ट पर टिप्पणी** नागौर जिले में विभिन्न जल योजनाओं से सभी शहर व गांव लाभांवित है, परन्तु जो जल वितरण किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता मापदण्ड के अनुसार नहीं है। गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि नागौर जिले में गांव व शहरों हेतु इन्दिरा गांधी नहर का पानी पहुचाया जाये। इसी परिप्रेक्ष्य में जिले के सभी गांव व शहरो को सतही जल से, जल वितरण व्यवस्था की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए इन्दिरा गांधी नहर से जल व्यवस्था करने हेतु एक प्रोजेक्ट प्रारम्भिक तौर पर रूपये 2830.00 करोड़ का तैयार किया गया जिसके तहत जिले के 1384 गांव 12 शहरो तथा बीकानेर जिले 111 गांव व 2 शहरो को स्वच्छ (मापदण्ड के अनुसार) जल वितरण से लाभान्वित करना है। यह योजना तीन चरणों में विभक्त की गई है जिसके प्रथम चरण को भी दो भागो में बांटा गया है। नागौर जिले के इन्दिरा गांधी परियोजना के प्रस्तावों से शेष बचे 96 गांवों को बिसलपुर परियोजना से जोड़ना प्रस्तावित है। जिसका क्रियान्वयन 2015 तक प्रस्तावित है।

  राज्य सरकार की नीति निर्धारण समिति की बैठक में इस योजना के प्रथम चरण के भाग प्रथम की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रूपये 738.53 करोड़ की जारी की गई।

  स्वीकृत भाग इन्दिरा गांधी मुख्य नहर परियोजना की गजनेर लिफ्ट योजना के आर.डी. 29.22 से जल प्राप्त कर वहां से नागौर, बासनी बेलिमा मूण्डवा, कुचेरा शहर एवं

रास्ते के 100 गांवों के लिए 2200 एम.एम. से 1100 एम.एम. साईज की पाईप लाइन गजनेर लिफ्ट से वाया नागौर, मूण्डवा, कुचेरा से मेड़ता तक विभिन्न लम्बाई में बिछाई जाने का मुख्य प्रस्ताव था।

इस योजना पर पुनः तकनिकी समिति द्वारा विचार कर यह निर्णय लिया गया कि गजनेर लिफ्ट नहर से नागौर तक एक बड़ी पाईप लाईन बिछाने के स्थान पर दो समानान्तर पाईप लाईन बिछाई जाय जिससे एक पाईप लाईन को प्रथम भाग में बिछाया जावे जिससे नागौर जिले के 5 शहर (नागौर, बासनी बेलिमा मूण्डवा, कुचेरा एवं मेड़ता शहर) व 502 गांवों को प्राथम स्वीकृत योजना में लाभांवित किया जायेगा। इसकी संशोधित स्वीकृति रूपये 761.01 करोड़ की, 171 वी पी.पी.सी. दिनांक 7.8.06 को की गई है।

इस योजना के तहत गजनेर लिफ्ट नहर के पास एक डिग्गी (तालाब) बनाई जायेगी, एक फिल्टर प्लान्ट वहीं पर बनाया जायेगा जिससे पानी फिल्टर होकर वहीं पर बनाये जाने वाले स्वच्छ जलाशय में इकट्ठा किया जायेगा। जहां से पम्प कर पाईप लाईन के माध्यम से नागौर–मेड़ता तक पानी पहुंचाया जायेगा व रास्ते के सभी 502 गांवों को जोड़ा जायेगा। योजना के प्रथम चरण की निविदाएं आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। योजना के त्वरित कार्य सम्पादन एवं प्रभावी मोनिटरिंग हेतु एक वृत कार्यालय मय एक खण्डीय कार्यालय के मुख्यालय नागौर में पद स्थापित किये है।

- सरकार की नीति की सबको स्वच्छ व पीने योग्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जल उपलब्ध हो, के अनुसार इस परियोजना हेतु जिला वार्षिक योजना वर्ष 2008–09 में नागौर जिले के लिये शहरी जल योजना हेतु मेजर प्रोजेक्ट के तहत रूपये 1500 लाख व अन्य प्रोजेक्ट के लिये 220.18 लाख तथा ग्रामीय जल योजनाओं हेतु मेजर प्रोजेक्ट के लिये 7000.00 लाख व अन्य प्रोजेक्ट के लिये रूपये 1800.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार कुल रूपये 10520.18 लाख की योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना में मेजर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना नागौर लिफ्ट के क्रियान्वयन का मुख्य प्रावधान रखा गया है।
- राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल की मातासुख–कसनाऊ लिग्नाईट परियोजना एवं पेयजल परियोजना – इस परियोजना अन्तर्गत 1083.35 हैक्टेयर क्षेत्र में कुल भूगर्भीय कोयला भण्डार 338 लाख टन है, जिसमें से 185.80 लाख भण्डार खनन योग्य है। वर्ष 2004 में खदान में खारे पानी के आधिक्य से खनन कार्य बन्द करना पड़ा था, जो विशेषज्ञों की राय से पुनः सुचारू किया गया तथा वर्ष 2005–06 में करीब 1.00 लाख टन एवं वर्ष 2006–07 में 1.60 लाख टन कोयला उत्पादन हुआ। इस परियोजना से फिल्टर किये हुए पानी की जायल तहसील के 120 ग्रामों को पेयजल आपूर्ति की जाना प्रस्तावित है, जिसकी कुल लागत लगभग 124 करोड़ रूपये है, योजना टेण्डर प्रक्रिया में है।